न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
007/2024(रसद) (GCMS 2024/178)	**09.09.2024**	**25.02.2025**

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

भैरूलाल पिता प्रेमा कुमावत निवासी मकान नंबर ए–131 गांधीनगर सेक्टर नंबर 5 चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

विपक्षी

उपस्थिति :– प्रवर्तन अधिकारी — पैरोकार सरकार
एक तरफा — विपक्षी

प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित MS & HSD ऑर्डर 2005 के तहत जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी हितेश जोशी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित **MS & HSD** ऑर्डर 2005 में

पुलिस उप अधीक्षक शाहना खानम द्वारा मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर की गई कार्यवाही दिनांक 20.05.2020 को जब्तशुदा सामग्री 500 लीटर डीजल एवं 50 लीटर पेट्रोल व अन्य सामग्री जिसका विवरण आवेदन अनुसार है के निस्तारण हेतु प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विपक्षी द्वारा किया गया कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित **MS & HSD** ऑर्डर 2005 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है, एवं अंत में प्रार्थना की गई कि अभिग्रहित जब्तशुदा सामग्री 500 लीटर डीजल एवं 50 लीटर पेट्रोल व अन्य सामग्री को राजसात करने की कृपा करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 25.02.2025 को विपक्षी के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षी की विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

इस पर हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण का निस्तारण किये जाने की ईश्तदुआ की गई। इस पर पैरोकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि

दिनांक 20.05.2020 को पुलिस उप अधीक्षक शहना खानम को जरिये मुखबीर सूचना मिली की हाईवे रोड सरहद सेमलपुरा मैसन रोड उदयपुर की तरफ एक मिनी ट्रक 407 नम्बर आर.जे. 090 जी.एस. 9085 में ऑयल डिपो से आने जाने वाले वाहनों में से डीजल व पैट्रोल की चोरीकर उक्त मिनी ट्रक में हुए ड्रम रख कर हाईवे रोड पर आने जाने वाले वाहनों को कम दामों में डीजल व पैट्रोल बेचने का धंधा कर रहा है। सूचना विश्वनीय होने से कार्यालय हाजा से आवश्यक अनुसंधान सामग्री मय लेपटॉप प्रिन्टर ड्रेगन लाईट साथ ले जरिये वाहन सरकार नंबर आर.जे. 09 यूए 9982 म.स. वरलक ईशाक मोहम्मद हैड कानि नम्बर 871 गनमैन लरीतीरम कानि 1310 के समय 6 पी.एम. पर रवाना हो कस्बा शहर चित्तौड़गढ़ में 6.10 पी.एम. देहली गेट पर थानाधिकारी कोतवाली चित्तौड़गढ़ श्री तुलसीराम पुनि मय जाप्ता श्री राजेन्द्रसिंह कानि नम्बर 309, रमेश गहलोत कानि नम्बर 259. पुष्पेन्द्र सिंह कानि नम्बर 15 ने देखकर पहचान कर बताया कि भागने वाला व्यक्ति श्री भेरूलाल कुमार निवासी सेक्टर नम्बर 5 गांधीनगर चित्तौड़गढ़ है। हमराही जाप्ता द्वारा पिछा किया किन्तु भेरूलाल कुमावत भागने में सफल हुआ। मैन रोड के पश्चिम मे खडी मिनी ट्रक 407 आरजे 09 जी.ए. 9085 बंद बोडी की होकर पिछे दोनो तरफ खुलने वाले लोहे के गेट लगे हुए हैं । उक्त ट्रक में गाडी की डुप्लीकेट आर. सी. मिली तथा प्रथम प्लास्टी के 200 लीटर में डिजल भरा होना पाया गया जिसमे अग्रेजी **ORSON CHEMICALS** लिखा हुआ तथा दुसरे प्लास्टिक के 200 लीटर ड्रम में डीजल भरा हो बरंग आसमानी कलर जिस पर अंग्रेजी में **VISEN INDUSTRIES LTD** लिखा तथा तीसरे 200 लीटर प्लास्टिक के ड्रम में 100 लीटर डीजल भरा हुआ हैं। उक्त तीनो के नमूने सेम्पल 750–750 एम.एल. कार्य की बोतल में निकाला जाकर सील चिट कर नमूना सेम्पल व कन्ट्रोल सेम्पल को क्रमशः ए–1 व ए–2 दिया गया व शेष बचे डीजल को उसी ड्रम में रहने दिया जाकर चिट चस्पाकर मार्क–ए दिया गया। द्वितीय प्लास्टिक के ड्रम मे भरा डीजल में से नमुना व कन्ट्रोल सेम्पल 750–750 एम.एल. कांच की बोतलों में डीजल निकाला जाकर सील चिट कर नमुना सेम्पल व कन्ट्रोल सेम्पल को बी–1, बी–2 दिया गया व शेष बचे डीजल का उसी ड्रम में रहने दिया जाकर चिट चस्पाकर मार्क–बी दिया गया। इसी प्रकार लोहे के ड्रम से भरा डीजल में से नमुना व कन्ट्रोल सेम्पल 750–750 एमएल की काचं की बोतलों में डीजल निकाला जाकर सील चिट कर नमुना सेम्पल व कन्ट्रोल सेम्पल को क्रमशः सी–1 व सी–2 नाम दिया गया व शेष बचे डीजल को उसी ड्रम में रहने दिया जाकर चिट चस्पाकर मार्क–सी दिया गया इसी प्रकार के प्लास्टिक के 50 लीटर जरीकेन भरा पेट्राल मे से नमुना व कन्ट्रोल सेम्पल 750–750 एम.एल. कांच की बोतलों में पेट्रोल में रहने दिया जाकर चिट कर नमुना सेम्पल व कन्ट्रोल सेम्पल को क्रमशः डी–1 व डी–2 व शेष बचे पैट्रोल को उसी जरीकेन में रहने दिया जाकर चिट चस्पाकर मार्क–डी दिया गया।

इस प्रकार उक्त कार्यवाही पुलिस थाना कोतवाली चितौडगढ द्वारा की गई तथा कार्यवाही में कुलिया 500 लीटर डीजल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एवं 50 लीटर पेट्रोल पदार्थ चोरी कर निकाल कर खरीदना व बेचना पाया जाने से उक्त पदार्थ जो कि विपक्षी भैरूलाल पिता प्रेमा कुमावत निवासी गांधीनगर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ से जब्त किया गया है। विपक्षी का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी आदेश मोटर स्प्रीट एण्ड हाई स्पीड डीजल आदेश 2005, सॉल्वेंट, रेफिनेट एण्ड स्लॉक आदेश 2000 एवं नाफ्ता आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय है। अंत में प्रार्थना की गई कि प्रकरण में अभिग्रहित 500 लीटर डीजल एवं 50 लीटर पेट्रोल एवं अन्य सामग्री को राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा डीजल पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना स्वीकार किया हैं, ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर अप्रार्थी द्वारा बाहर से अवैध रूप से टैंकरों में डीजल भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया गया है। इसके साथ ही विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है जिससे विपक्षी की और से आवेदन का किसी भी प्रकार से खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं, जिससे पुलिस उप अधीक्षक द्वारा की गई कार्यवाही दिनांक 20.05.2020 को अप्रार्थी से अभिग्रहित 500 लीटर डीजल एवं 50 लीटर पेट्रोल एवं अन्य सामग्री को राजसात किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 20.05.2020 को विपक्षी से अभिग्रहित 500 लीटर डीजल एवं 50 लीटर पेट्रोल एवं अन्य सामग्री को राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त 500 लीटर डीजल एवं 50 लीटर पेट्रोल एवं अन्य सामग्री को नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>**25.02.2025**</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official